क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– Untied Fund for Health Sub Centre.

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – Untied Fund for Health Sub Centre

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) B2.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के रख–रखाव एवं जरूरत के अनुसार आवश्यक कार्य हेतु Untied Fund दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित ईकाई राशि वर्ष 2011–12 में उपयोग की गई राशि के आधार पर प्रदान की जा रही है।

ईकाई राशिः

- @ Rs. 7500/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2011–12 में 80 प्रतिशत से ज्यादा था। (अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जहानाबाद, मधुबनी, पुर्णीया, समस्तीपुर, वैशाली, पश्चिमी–चम्पारण)
- . @ Rs. 6500/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2011–12 में 60 से 80 प्रतिशत था। (औरंगाबाद, बेगुसराय, भोजपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, रोहतास, सुपौल)
- @ Rs. 4500/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2011–12 में 40 से 60 प्रतिशत था। (दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, लक्खिसराय)
- @ Rs. 2700/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2011–12 में 40 प्रतिशत से कम था। (भागलपुर, पुर्वी–चम्पारण, जमुई, कैमुर, किशनगंज, मुंगेर,नालन्दा, नावादा, पटना, सहरसा, सारण, शिवहर, सितामढ़ी, सिवान)

जिला स्वास्थ्य समिति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जिले अन्तर्गत जिस स्वास्थ्य उपकेन्द्र द्वारा वर्ष 2011–12 में राशि का पुर्ण उपयोग किया है उस स्वास्थ्य उपकेन्द्र को व्यय के आधार पर अधिक राशि आवंटित कर सकती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के आधार पर जिले अक्टुबर, 2012 माह स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए इस मद के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की मांग कर सकती हैं।

वित्तीय दिशा–निर्देश

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के Untied Fund का उपयोग निम्नलिखित कार्यो में किये जा सकते हैः–

1. स्वास्थ्य उपकेन्द्र के छोटे परिवर्तन यथा परदा लगाने मे, नल की मरम्मती वल्ब लगाने में एवं स्थानीय स्तर पर छोटी मरम्मती ।
2. स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु रजिस्टर/फाईल खरीदने में तथा विशेष परिस्थिति में कुर्सी/टेबुल/बैंच खरीदने में ।
3. स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर आवश्यक सामाग्री, उपकरण एवं मशीन की खरीददारी एवं रिपेयर।
4. आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस–VHSND में लाभार्थी तथा सेवा प्रदाता के बैठने के लिए भाड़े पर कुर्सी, टेबुल, बैंच, दरी एवं अन्य आवश्यक समाग्री के लिए आवश्यक हो तो अधिकतम 100 रूपये प्रति ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस–VHSND प्रति माह के दर से राशि खर्च की जा सकती है।
5. स्वास्थ्य उपकेन्द्र की साफ–सफाई के लिए ।

SKumar

6. आपातस्थिति में गर्भवती महिला/माता/नवजात शिशु के लिए परिवहन पर व्यय ।
7. महामारी के समय नमूने के आवागमन हेतु परिवहन मद में ।
8. स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कन्जूमेबुल्स (यथा–बैन्डेज) की खरीद पर ।
9. गांव के लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीद पर ।
10. जलजमाव के रोकथाम हेतु तथा साफ सफाई करने में, जिसे उत्पन्न बीमारी को रोका जा सके।
11. राशि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग में होनेवाली चीजों के लिए करना है, व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नही ।

उपर्युक्त बिन्दु मात्र संदर्भ के लिए है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की अनटाईड फंड का उपयोग संयुक्त हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति एवं सदस्य एक बैठक कर स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री का क्रय/रिपेयर पर इस राशि का उपयोग करने के लिए सक्षम है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं– तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 9135, Dated 09.02.2009 **(ख) 22378, Dated 27.12.10**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 09470003025

S Kumar